रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 893] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2016/पौष 8, 1938
No. 893] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2016/PAUSA 8, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1182(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जब इस अधिसूचना की प्रतियॉं, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध करा दी जाती है से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत् ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों की बाबत, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन), भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 के उप–नियम (15) में, –

(i) खंड (क) में पांचवें परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

परन्तु यह कि इस खंड की कोई भी बात मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृत केन्द्रीय सरकार से संबंधित और रक्षा प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गये वाहनों को लागु नहीं होगी।

(ii) खंड (कक) में, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

परन्तु यह कि इस खंड की कोई भी बात मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृत केन्द्रीय सरकार से संबंधित और रक्षा प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गये वाहनों को लागु नहीं होगी।

[फा. सं. आर.टी.–11017/05/2016–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. (अ), तारीख द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2016

G.S.R. 1182(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government;

3. The objections or suggestions, if any, to these draft rules be sent to the Joint Secretary to the Government of India (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi, within the period, specified above.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 115, in sub-rule (15),—

(i) in clause (a), after the fifth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that nothing in this clause shall apply to the vehicles belonging to the Central Government and used for defence purposes, registered under section 60 of the Motor Vehicles Act, 1988;";

(ii) in clause (aa), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that nothing in this clause shall apply to the vehicles belonging to the Central Government and used for defence purposes, registered under section 60 of the Motor Vehicles Act, 1988;".

[F. No. RT-11017/05/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide number G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. (E), dated .

Nishok Kumar Paria Digitally signed by Nishok Kumar Paria Date: 2016.12.29 19:16:01 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.